महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

कार्यालय	तहसीलदार	गाजियाबाद
पत्रांक 2632	/र0का0–2022	दिनांक : 01-11-2022

–:आदेश:–

मा0 राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या 399/ रा0नि0आ0–4/ न0नि0/ 49–22/ 2022 दिनांक 18.10.2022 में नगर निकाय निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण का कार्य हेतु समय सारणी निर्गत की गयी है जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित/विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 01 नवम्बर 2022 से 07 नवम्बर 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसी क्रम में निर्वाचक नामावली का प्रकाशन दिनांक 31.10.22 को किया जा चुका है।

उक्त के कम मे नगर निकाय क्षेत्रान्तगत नगर निगम गाजियाबाद व नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर व नगर पंचायत डासना मे नियुक्त समस्त बी0एल0ओ0 को निर्देशित किया जाता है कि वह **दिनांक 01 नवम्बर 2022 से 07 नवम्बर 2022 तक अपने को आवंटित मतदेय स्थलो पर उपस्थित होकर दावे–आपत्ति प्राप्त करेगें तथा उनका नियमानुसार जॉच कर निस्तारण करना तथा निस्तारित दावे–आपत्तियों को तहसील कार्यालय में प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ताकि मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराये जा सके ।** बी0एल0ओ0 के उपरोक्त कार्य का पर्यवेक्षण नियुक्त सुपरवाईजर द्वारा किया जाएगा । यदि उच्च अधिकारियों के भ्रमण के दौरान मतदेय स्थलो पर सम्बन्धित बी0एल0ओ0 अनुपस्थित पाये जाते है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1950 की सुसंगत धाराओं मे नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आख्या जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी गाजियाबाद महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी जिसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी स्वंय जिम्मेदार होगें ।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तहसीलदार
गाजियाबाद

प्रतिलिपि :–

1– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2– उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ।

तहसीलदार
गाजियाबाद